

Order Sheet [Contd]

Case No. 41/14 वेदवर्धन of 20


Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20/02/17	<p>आवेदक सहित श्री यजवेद्र श्रीवास्तव अधि.उप.। अनावेदिका पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण आवेदक की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदक साक्ष्य उपस्थित।</p> <p>आवेदक साक्षी कं-1 (संजु हठा), साक्षी कं-2 (श्रीमती सीना) सहित अधिवक्ता ने आवेश 18 कल 4 (1) जारी के तहत मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र पेश कर शेष आवेदक साक्ष्य पेश हेतु समय चाँदा जो बार विचार न्यायद्विज में दिया गया।</p> <p>प्रकरण आवेदक की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु दिनांक 07-03-17 को पेश हो।</p> <p>पी. सी. आर्य हि. अपर जिला जज गोहद जिला-मिण्ड (म.प्र.)</p>	<p>शंजु 2 वन</p> <p>मि. सी. आर्य</p> <p>म-3-17</p>
07/03/17	<p>आवेदक द्वारा श्री यजवेद्र श्रीवास्तव अधि.उप.। अनावेदिका पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण आवेदक की एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय से मौखिक व्यक्त कर आवेदक साक्षी कं- 1 व 2 के प्रस्तुत मुख्यपरीक्षण को ही साक्ष्य में ग्राह्य कर अपनी एकपक्षीय साक्ष्य समाप्त घोषित कर प्रकरण में आज ही अंतिम तर्क सुने का निवेदन किया। आवेदक की साक्ष्य का हक समाप्त करते हुए उनके निवेदन पर प्रकरण में आज ही अंतिम तर्क सुने गये।</p> <p>प्रकरण निर्णय हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण निर्णय हेतु आगामी कार्य दिवस 08-03-17 को पेश हो।</p> <p>पी. सी. आर्य हि. अपर जिला जज गोहद जिला-मिण्ड (म.प्र.)</p> <p>यु-12-य</p> <p>प्रकरण का अवलोकन करने पर यह</p>	<p>म-3-17</p>

Date of
Order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

पाया गया कि प्रकरण के पक्षकार मुस्लिम
धर्मविलम्बी है और प्रकरण हिन्दू विवाह
अधिनियम 1955 से संबंधित पंजी में दर्ज
किया गया है जो दामपत्य संबंधों की
पुनर्स्थापन की सहायता की डिक्ली हेतु
प्रस्तुत किया गया था और मुस्लिम
विधि के अनुसार ऐसे प्रकरण सिविल
वाद की परिधी में आते हैं इसलिए
उक्त प्रकरण व्यवहारवाद वर्ग पंजी (अ)
के अंतर्गत पंजीबद्ध किए जाने योग्य
था अतः लिपिकृत तुरि को सुधारित
हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त
प्रकरण को आज ही HMA पंजी से
निरस्त किया जाकर व्यवहारवाद पंजी
(अ) में दर्ज किया जाए और सी 15
में भी उसकी प्रविष्टि की जाए।

प्रकरण पूर्ववत् निर्णय हेतु दिनांक
8/03/10 को पेश हो।


पी. ए. अयं
हि. अपर जिला जज